



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265047
CG-DL-E-28072025-265047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 460]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

सं. 126/2025

सा.का.नि. 503(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (4ड) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 21कट में,—

(क) उपनियम (1) के खंड (ख) में,—

(i) आरंभिक भाग में, “ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स” शब्दों के पश्चात् “या ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्स” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) उपखंड (i) में, “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उपनियम (2) में, “अपतटीय बैंकिंग इकाई” शब्दों के पश्चात्, “या विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) स्पष्टीकरण में,-

- (i) खंड (v) में, “एक क्रेता और एक विक्रेता; और” शब्दों के स्थान पर, “एक क्रेता और एक विक्रेता;” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (vi) में, “और” शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा; और
- (iii) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) “विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।”

[फा. सं. 370142/26/2025-टीपीएल]

सैमुअल पिट्टा, उप सचिव

टिप्पण: आय-कर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 322(अ), तारीख 19.05.2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2025

No. 126/2025

G.S.R. 503(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with clause (4E) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twentieth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 21AK, —

(a) in sub-rule (1), clause (b),-

(i) in the opening portion, after the words “offshore derivative instruments”, the words “or over-the-counter derivatives” shall be inserted;

- (ii) in sub-clause (i), after the words “by the International Financial Services Centres Authority”, the words “or any Foreign Portfolio Investor being a unit of an International Financial Services Centre” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (2), after the words "offshore banking unit", the words “or the Foreign Portfolio Investor” shall be inserted.

(c) in the *Explanation*, -

- (i) in clause (v), for the words “a purchaser and a seller; and”, the words “a purchaser and a seller;” shall be substituted;
- (ii) in clause (vi), the word “and” shall be inserted at the end; and
- (iii) after clause (vi,) the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(vii), "Foreign Portfolio Investor" means a person registered under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).’

[F. No. 370142/26/2025-TPL]

SAMUEL PITTA, Dy. Secy.

Note: -The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* number G.S.R. 322 (E), dated the 19.05.2025.